

## International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: [www.ijirset.com](http://www.ijirset.com)

Vol. 8, Issue 9, September 2019

# अंबेडकर और भारतीय राजनीति

Dr. Anchal Meena

Assistant Professor, SBRM Govt. College Nagaur, Rajasthan, India

### सार

भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महु में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। वे अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे- छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार डॉ. अंबेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में भी स्वीकार करते हैं, वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते हुए सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते हैं। वे कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं होती। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में 'नैतिकता' और 'सामाजिकता' दो प्रमुख मूल्य रहे हैं जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में बढ़ जाती है। दरअसल आज राजनीति में खींचा-तानी इतनी बढ़ गई है कि राजनैतिक नैतिकता के मूल्य गायब से हो गए हैं। हर राजनीतिक दल वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए राजनीतिक नैतिकता एवं सामाजिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात इन सिद्धांतों को अमल में नहीं लाते हैं।

### परिचय

डॉ. अंबेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाया पड़ता है। [1] आज जब विश्व एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटनाएँ भी देखने को मिल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लम्बाई तथा बुद्धिमत्ता आदि में एक-दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन समस्या मानव द्वारा बनायी गई असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग व जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझ संसाधनों पर अपना अधिकार जमाता है। यूएनओ द्वारा इस संदर्भ में प्रति वर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज भी समाज में व्याप्त असमानता को प्रकट करता है। [2] भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। यह समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सके, इसके लिए शोषित, दबे-कुचलों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अंबेडकर के समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ में, बल्कि विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाते हैं। दरअसल आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं संपत्ति में व्यापक असमानता, अशिक्षा और अकुशल श्रम इत्यादि समस्याएँ व्याप्त हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर डॉ. अंबेडकर के महत्वपूर्ण विचार को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

## International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: [www.ijirset.com](http://www.ijirset.com)

Vol. 8, Issue 9, September 2019

The problem of the rupee : 15 origin and its solution नामक अपनी रचना में डॉ. अम्बेडकर ने 1800 से 1893 के दौरान, विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा (रुपये) के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की। आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की समस्या से दो-चार हो रही है तो ऐसे में उनके शोध के परिणाम न सिर्फ समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। अम्बेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जोत और उनके उपचार (Small Holdings in India and their Remedies) में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों का भेद समाप्त हो जाएगा, [3] जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India) की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहज कर प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्र कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दों व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया उनकी स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का अहम योगदान रहा। अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते जिसकी प्रासंगिकता आज तक जीवन्त है। [4] सामाजिक क्षेत्र में उनके विचारों की प्रासंगिकता को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की थी।
- अम्बेडकर का मत था कि समूह तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है।
- इस व्यवस्था में कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्तियों के कार्यों का पूर्व में ही निर्धारण हो जाता है।
- अन्तर्जातीय विवाह इस व्यवस्था में निषेध होते हैं।
- सामाजिक विद्वेष और घृणा के प्रसार से इस व्यवस्था को बल मिलता है। [5]

उल्लेखनीय है कि इन भेदभावों के खिलाफ उन्होंने व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये भी संघर्ष किया। डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री-पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिंदू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया और हिन्दू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। [6] उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिन्दू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यावहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है, वहीं आज भी महिलाएँ उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव हिंसा, समान कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार ना मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था। [7]

### विचार-विमर्श

अम्बेडकर शिक्षा के महत्व से भली-भाँति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ

## International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: [www.ijirset.com](http://www.ijirset.com)

Vol. 8, Issue 9, September 2019

विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी, जहाँ सम्पूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडम्बर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जनकल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान दे सके। उल्लेखनीय है कि डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएँ बाधक न बन सके, इसके लिए मूलअधिकार के अनुच्छेद 21-A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है।[8]

डॉ. अम्बेडकर अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ-साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। अधिकारों को लेकर उनके यह विचार वर्तमान समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल वर्तमान विश्व में सरकारें अपने नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती हैं, हालाँकि मौलिक [9] अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात की जाती है। बाबा साहेब सिर्फ अछूतों, महिलाओं के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12-14 घंटों तक काम लिया जाता था। इनके प्रयासों से प्रतिदिन आठ घंटे काम करने का नियम पारित हुआ। इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि से भी सुधार हुए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान के लगभग ज्यादातर श्रम कानून बाबा साहेब के ही बनाए हुए हैं, जो उनके विचारों को जीवंतता प्रदान करते हैं।[10] महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके विचारों में मतभेद भी रहे, जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- ग्रामीण भारत, जातिप्रथा और छुआ-छूत के मुद्दों पर डॉ. अम्बेडकर और गांधी जी के विचार एक दूसरे के विरोधी बने रहे। हालाँकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता प्रदान करने की थी और दोनों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के अलग-अलग मार्ग भी बतलाए।
- गांधी जी के मुताबिक यदि जाति व्यवस्था से छुआ-छूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गाँव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केन्द्र में रखा।
- गांधी के विपरीत अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। अम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी तब तक छुआ-छूत जैसे अभिशाप नए-नए रूप में समाज में पनपते रहेंगे।[11]
- गांधी जी ने पूर्ण विकास के लिए लोगों को गाँव का रुठ करने की वकालत की। गांधी के मुताबिक देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट सिर्फ इंडस्ट्री या फैक्ट्री के जरिए नहीं भरा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि औद्योगिक विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखते हुए विकसित किया जाए।
- डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था कि बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता को समाप्त कर भ्रातृत्व की भावना विकसित करता है। यही कारण था कि अम्बेडकर ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस संदर्भ में अम्बेडकर के विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं रखते थे। महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि धर्म परिवर्तन करने मात्र से दलित वर्गों की स्थिति में वास्तविक सुधार होगा ही, इसकी कोई निश्चितता नहीं है।[12]

### परिणाम

अम्बेडकर के अनुसार, “लोकतन्त्र शासन का ऐसा रूप तथा पद्धति है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रांतिकारी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है।” वे लोकतन्त्र की संसदीय पद्धति के समर्थक व प्रशंसक थे। लेकिन उनका कहना था कि बिना सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के राजनीतिक लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकता। संसदीय लोकतन्त्र की सहायता के लिये वे सामाजिक तथा आर्थिक समानता, सुदृढ़ विपक्षी दल, स्थायी सिविल सेवा तथा संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक शर्त मानते थे।

## International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: [www.ijirset.com](http://www.ijirset.com)

Vol. 8, Issue 9, September 2019

अम्बेडकर राज्य को समाज सेवा का एक साधन मानते थे। यद्यपि वे जानते थे कि राज्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है यहाँ तक कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर नूतन व्यवस्था की स्थापना का कार्य भी राज्य ही करता है तथापि वह सर्वशक्तिमान और निरंकुश नहीं है, बल्कि समाज सेवा का एक साधन है। अम्बेडकर व्यक्ति के कुछ अधिकारों के पीछे संवैधानिक उपचारों का प्रावधान आवश्यक मानते थे। इसके साथ ही साथ वे अधिकारों के पीछे सामाजिक और नैतिक स्वीकृति भी आवश्यक मानते थे। उनके शब्दों में- “यदि मौलिक अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध होता है तो कोई भी कानून, न्यायालय और संसद उनकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून व्यक्तियों की भावनाओं की प्रतिच्छाया होता है।”[13]

### निष्कर्ष

डॉ० अम्बेडकर प्रारम्भ से ही देश और राजनीतिक स्वतन्त्रता के समर्थक थे। अपने शोध प्रबन्ध “The Evolution of Provincial Finance in the British India” में उन्होंने दो सिद्धान्त प्रतिपादित किए थे-

(i) प्रत्येक देश में सामाजिक शोषण तथा अन्याय व्याप्त है, तथा

(ii) इसका अर्थ यह नहीं है कि उस देश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त न हो।

यद्यपि उनका कांग्रेस व गाँधीजी की पद्धतियों से विरोध था, लेकिन वे स्वतन्त्रता के विरोधी नहीं थे। कुछ विद्वानों ने उनके 1942 के ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ के विरुद्ध प्रचार करने पर उनके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रति दृष्टिकोण पर आपत्ति की थी, लेकिन उनका यह विरोध, वास्तव में— देश की स्वतन्त्रता के लिए अपनायी जाने वाली रणनीति और व्यूह रचना के मतभेद से सम्बन्धित था।[14]

### संदर्भ

1. सभा, राज्य। "1952 से राज्यसभा के सभी सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची"। राज्यसभा सचिवालय। मूल से 9 जनवरी 2010 को पुरालेखित। सूची में क्रम संख्या 69
2. ^ "ध्यान दें बीजेपी: जब मुस्लिम लीग ने अंबेडकर को 'इतिहास के कूड़ेदान' से बचाया"। फ़र्स्टपोस्ट। 15 अप्रैल 2015। 20 सितंबर 2015 को मूल से संग्रहीत। 5 सितंबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया।
3. कीर, धनंजय (1971)। डॉ. अम्बेडकर: जीवन और मिशन। लोकप्रिय प्रकाशन। आईएसबीएन 978-8171542376- Google पुस्तकें के माध्यम से।
4. ^ जैफ़्रेलॉट, क्रिस्टोफ़ (2005)। डॉ अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी: एनालिसिस एंड फाइटिंग कास्ट। लंदन: सी. हर्स्ट एंड कंपनी प्रकाशक। पी। 5. आईएसबीएन 1850654492.
5. ^ खैरमोडे, चांगदेव भवनराव (1985)। डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (खंड 7) (मराठी में)। मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहिल्य संस्कृति मंडल, मातालय। पी। 245.
6. ^ जैफ़्रेलॉट, क्रिस्टोफ़ (2005)। डॉ अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी: एनालिसिस एंड फाइटिंग कास्ट। लंदन: सी. हर्स्ट एंड कंपनी प्रकाशक। पीपी। 76-77। आईएसबीएन 978-1850654490.
7. ^ खैरमोडे, चांगदेव भवनराव (1985)। डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (खंड 7) (मराठी में)। मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहिल्य संस्कृति मंडल, मातालय। पी। 273.
8. बसवेल, रॉबर्ट जूनियर; लोपेज़, डोनाल्ड एस. जूनियर, एड। (2013)। बौद्ध धर्म का प्रिंसटन शब्दकोश। प्रिंसटन, एनजे: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 34. आईएसबीएन 978-0691157863.
9. ^ जैफ़्रेलॉट, क्रिस्टोफ़ (2005)। अम्बेडकर और अस्पृश्यता: भारतीय जाति व्यवस्था से लड़ना। न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 2. आईएसबीएन 0-231-13602-1.
10. ^ प्रिटचेट, फ्रांसिस। "1890 के दशक में" (PHP)। मूल से 7 सितम्बर 2006 को पुरालेखित। 2 अगस्त 2006 को पुनःप्राप्त।
11. ^ "महार"। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। britannica.com। 30 नवंबर 2011 को मूल से संग्रहीत। 12 जनवरी 2012 को पुनःप्राप्त।

## International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: [www.ijirset.com](http://www.ijirset.com)

**Vol. 8, Issue 9, September 2019**

12. ^ आहूजा, एमएल (2007)। "बाबासाहेब अम्बेडकर"। प्रख्यात भारतीय: प्रशासक और राजनीतिक विचारक। नई दिल्ली: रूपा। पीपी। 1922-1923। आईएसबीएन 978-8129111074. 23 दिसंबर 2016 को मूल से संग्रहीत। 17 जुलाई 2013 को पुनःप्राप्त।
13. अम्बेडकर, बीआर "वेटिंग फॉर ए वीज़ा"। फ्रांसिस प्रिटचेट, अनुवादक। कोलंबिया.edu। मूल से 24 जून 2010 को पुरालेखित। 17 जुलाई 2010 को पुनःप्राप्त।
14. ^ कुरियन, संगीत (23 फरवरी 2007)। "स्कूलों में मानवाधिकार शिक्षा"। द हिंदू। 3 नवंबर 2013 को मूल से संग्रहीत।